एसटीसी/मुख्या./का./औ.सं./02076(खंड-V) /2017

दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड:नई दिल्ली

(औद्योगिक संबंध अनुभाग)

30 अक्तूबर, 2017

परिपत्र संख्या: औ.सं./21/2017

विषय: एसटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा लाभ योजना- 1981 की समीक्षा

एसटीसी (सेवानिवृत्त कर्मचारी) चिकित्सा लाभ योजना, निदेशक-मंडल के अनुमोदन से वर्ष 1981 में आरंभ की गई थी। यह योजना कार्पोरेशन के संसाधनों द्वारा निधिकृत और लागू की गई पूर्णत: एक कल्याण योजना है। इस योजना का प्रचालन कार्पोरेशन की वित्तीय स्थिति तथा इसकी भुगतान करने की सामर्थ्य पर आधारित है।

2. एसटीसी द्वारा योजना को लागू करने और प्रचालन की सामर्थ्य के मुद्दे पर आधारित, एसटीसी के निदेशक-मंडल ने 13.09.2017 को हुई अपनी 614वीं बैठक में एसटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा लाभ योजना-1981 की समीक्षा की तथा वीआरएस चुनने वाले कर्मचारियों सहित सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बारे में आईपीडी तथा ओपीडी को निम्नानुसार नियमित करने का निर्णय लिया:

I. आईपीडी उपचार

आईपीडी को नियमित करने की दृष्टि से, सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक समान योजना होगी। एसटीसी के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू आईपीडी हेतु स्लैबवार सीलिंग निम्नानुसार नियमित की जाएगी:

भूतपूर्व कर्मचारी का अंतिम पदनाम	प्रति वित्तीय वर्ष प्रति परिवार वार्षिक सीलिंग **
भूतपूर्व निदेशक/ भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	₹ 5.00 लाख
भूतपूर्व संयुक्त महाप्रबंधक से भूतपूर्व कार्य.निदेशक	₹ 4.10 लाख
भूतपूर्व व.का.प्र.-II/भूतपूर्व स.प्र.से भूतपूर्व उप महाप्रबंधक	₹ 3.45 लाख
भूतपूर्व ग्रेड-I से भूतपूर्व व.का.प्रबंधक-I	₹ 2.50 लाख
**नोट: उपर्युक्त विनिर्दिष्ट सीलिंग सीमा समय-समय पर समीक्षा के अधीन है। तथापि, प्रमुख रोगों जैसे- कैंसर, गुर्दे के रोग, हृदय रोग, लकवा, बड़ी दुर्घटनाओं आदि के मामले में संबंधित सीलिंग दोगुनी हो जाएगी।	

II. ओपीडी

सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लागू वार्षिक ओपीडी सीलिंग स्व: प्रमाणन आधार पर प्रतिपूर्ति किए जाने हेतु निम्नानुसार जारी रहेगी:-

भूतपूर्व कर्मचारी का अंतिम पदनाम	सीलिंग सीमा (₹)
भूतपूर्व निदेशक/ भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	₹ 30,000/- प्रतिवर्ष

आर जापोह्रा

भूतपूर्व संयुक्त महाप्रबंधक से भूतपूर्व कार्य.निदेशक	₹ 22,500/- प्रतिवर्ष
भूतपूर्व व.का.प्र.-II/भूतपूर्व स.प्र.से भूतपूर्व उप महाप्रबंधक	₹ 18,000/- प्रतिवर्ष
भूतपूर्व ग्रेड-I से भूतपूर्व व.का.प्रबंधक-I	₹ 15,000/- प्रतिवर्ष

III. इस योजना के दायरे को उन भूतपूर्व कर्मचारियों तक भी बढ़ाया गया है जिन पर एसटीसी (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1975 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड लगाया गया है।

3. उपर्युक्त संशोधन 01.11.2017 से लागू होंगे। 25.11.2008 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बारे में, जो इस परिपत्र के जारी होने से पूर्व अस्पताल में भर्ती हुए थे और अभी भी भर्ती हैं, उन्हें एसटीसी द्वारा, यहाँ तय की गई सीलिंग से अधिक इंडोर उपचार के लिए कोई विस्लार पत्र (एक्सटेंशन लैटर) जारी नहीं किया जाएगा। यहाँ तय सीलिंग से अधिक एसटीसी द्वारा जारी, प्राधिकार-पत्र की अवधि के समाप्त होने के बाद लिया गया कोई भी इंडोर उपचार भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

आर गणेश

(आर.गणेश)

संयुक्त महाप्रबंधक

वितरण:

- सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
- सभी शाखा प्रबंधक
- सभी प्रभागाध्यक्ष, मुख्यालय

(उपर्युक्त तीनों: ई-मेल)

- महाप्रबंधक(वित्त)/(ले.एवं स्था.)- हार्ड कॉपी
- चिकित्सा अनुभाग- हार्ड कॉपी
- सूचना पट्ट - हार्ड कॉपी
- वेबसाइट

प्रतिलिपि:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- निदेशक (का.)एवं निदेशक (वित्त) के कार्यकारी सचिव
- निदेशक (विपणन) के कार्यकारी सचिव
- मुख्य सर्तकता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- एसटीसी एक्स एम्प्लाइज वैलफेयर एसोसिएशन, 72-डी, पॉकेट-III, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091

STC/CO/PER/IR/02076(Vol-V)/2017

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD: NEW DELHI
(INDUSTRIAL RELATIONS SECTION)

October 30th, 2017

Circular No: IR/21/2017

Subject: Review of STC Retired Employees' Medical Benefit Scheme - 1981

The STC (Retired Employees') Medical Benefit Scheme was introduced in the year 1981 with the approval of the Board of Directors. The Scheme is purely a welfare Scheme maintained and funded by the resources of the Corporation. The operation of the Scheme is based on the financial position of the Corporation and its affordability to pay.

2. Based on the issue of affordability by STC to maintain and operate the Scheme, the Board of Directors of STC in its 614th Meeting held on 13.09.2017 reviewed the STC (Retired Employees') Medical Benefit Scheme, 1981 and decided to regulate IPD and OPD in respect of all retired employees including VRS optees as under:

i. IPD Treatment

In order to regulate IPD, there will be a uniform scheme for all the retired employees. The slab-wise ceiling for IPD applicable to all the retired employees of STC shall be regulated as under:

Last Designation held by an ex-employee	Annual Ceiling per family per financial Year **
Ex-Directors/Ex-CMD	Rs 5.00 Lakhs
Ex-Jt. GMs to Ex-ED	Rs 4.10 Lakhs
Ex-SOM-II/Ex-AMs to Ex- DGMs	Rs 3.45 Lakhs
Ex-Grade-I to Ex-SOM-I	Rs 2.50 Lakhs
****Note:*** The ceiling limit specified aforesaid is subject to review from time to time. However, in case of major ailments like Cancer, Kidney ailments, heart ailments, paralysis, major accidents etc., the respective ceiling limits will be doubled.	

Scanned by CamScanner

ii. <u>OPD</u>

The yearly OPD ceiling admissible to all the retired employees to be reimbursed on self-certification basis will continue as under:

Last Designation held by an ex-employee	Ceiling Limit (Rs)
Ex-Directors/Ex-CMD	30,000/- per annum
Ex-Jt. GMs to Ex-ED	22,500/- per annum
Ex-SOM-II/Ex-AMs to Ex- DGMs	18,000/- per annum
Ex-Grade-I to Ex-SOM-I	15,000/- per annum

iii. The scope of coverage of the Scheme will be extended to the ex-employees who have been imposed penalty of Compulsory Retirement under the STC (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975.

3. The above amendments will come into force on 01.11.2017. In respect of ex-employees retired prior 25.11.2008, who were admitted prior to issuance of this Circular and are still under admission, no further extension letter for indoor treatment shall be issued by STC exceeding ceiling fixed hereon. Any indoor treatment taken after the expiry of period of authority letter issued by STC beyond the ceiling fixed hereon shall be borne by the ex-employees themselves.

4. This issues with the approval of the Competent Authority.

(R. Ganesh)
Joint General Manager

<u>Distribution:</u>

- All CGMs/GMs
- All Branch Managers
- All Divisional Heads, CO

} e-mail

- GM(F) (A&E) – Hard Copy
- Medical Section – Hard Copy
- Notice Board – Hard Copy
- Website

<u>Copy to:</u>

- Exe. Secy to CMD
- Exe. Secy to Director(Personnel) & Director(Finance)
- Exe.Secy. to Director(Marketing)
- Exe. Secy to CVO

Copy also to: STC Ex-employees Welfare Association, 72-D, Pocket – III, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi - 110091

Scanned by CamScanner